

मांग संख्या 65
मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1

शासन के उपयोग हेतु किराये पर लिये जा रहे हेलीकॉप्टर/विमान के किराया भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 4000.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

राज्य के आर.सी.एस एयरपोर्ट जगदलपुर, बिलासपुर तथा अम्बिकापुर के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण क्रय करने हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 800.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।